उपज उपकर विधि (उत्सादन) अधिनियम, 2006

(2006 का अधिनियम संख्यांक 46)

[25 सितम्बर, 2006]

कृषि उपज उपकर अधिनियम, 1940 और उपज उपकर
अधिनियम, 1966 का निरसन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उपज उपकर विधि (उत्सादन) अधिनियम, 2006 है। संक्षिप्त नाम।

2. कृषि उपज उपकर अधिनियम, 1940 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। 1940 के अधिनियम संख्यांक 27 का निरसन।

1966 के अधिनियम संख्यांक 15 का निरसन।

3. उपज उपकर अधिनियम, 1966 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

व्यावृत्ति।

4. (1) इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति का निरसन:—

(क) किसी अन्य अधिनियमिति को, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गई है, सम्मिलित की गई है या निर्दिष्ट की गई है, प्रभावित नहीं करेगा;

(ख) पहले की गई या सहन की गई किसी बात या पहले से अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व या उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग से या उसके निर्मोचन या उन्मोचन, अथवा पहले दिए गए किसी परित्राण या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणामों को प्रभावित नहीं करेगा;

(ग) विधि के किसी सिद्धांत या नियम या स्थापित अधिकारिता, प्ररूप या अभिवचन के अनुक्रम, पद्धति या प्रक्रिया या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, पद या नियुक्ति को प्रभावित नहीं करेगा, भले ही वह, यथास्थिति, इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, उसमें या उससे किसी भी रीति से प्रतिज्ञात या मान्यताप्राप्त या व्युत्पन्न हुआ हो;

(घ) किसी अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या किसी अन्य विषय या बात को, जो अब विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, पुनरुज्जीवित या प्रत्यावर्तित नहीं करेगा।

(2) उपधारा (1) में विशिष्ट विषयों के वर्णन को उनके निरसन के प्रभाव के संबंध में साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के साधारणतः लागू होने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या प्रभावित करने वाला अभिनिर्धारित नहीं किया जाएगा। 1897 का 10

शुल्कों के बकाया का संग्रहण और संदाय।

5. धारा 2 और धारा 3 में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों के निरसन के होते हुए भी, उस तारीख से ठीक पूर्व, जिसको उपज उपकर विधि (उत्सादन) विधेयक, 2006 पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, उक्त अधिनियमितियों के अधीन उद्गृहीत शुल्कों के आगमों का,—

(i) यदि संग्रहण अभिकरणों द्वारा संग्रहण किया गया है, किंतु भारतीय रिजर्व बैंक में संदाय नहीं किया गया है; और

(ii) यदि संग्रहण अभिकरणों द्वारा संग्रहण नहीं किया गया है

तो, यथास्थिति, संदाय या संग्रहण किया जाएगा और भारत की संचित निधि में जमा किए जाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में संदाय किया जाएगा।

राष्ट्रपति ने दि प्रोड्यूस सेस लॉज (अबॉलीशन) ऐक्ट, 2006 के उपरोक्त हिन्दी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है

The above translation in Hindi of the Produce Cess Laws (Abolition) Act, 2006 has been authorised by the President to be published in the Official Gazette under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963.

सचिव, भारत सरकार।

Secretary to the Government of India.

MGIPMRND—3973OLW(S5)—15-12-2006.